



उत्तरांचल

राज्य विधान सभा के प्रथम सत्र में

श्री सुरजीत सिंह बरनाला

महामहिम राज्यपाल, उत्तरांचल

का

अभिभाषण

देहरादून, सोमवार, 18 मार्च, 2002 (फाल्गुन 27, शक सम्वत् 1923)

उत्तरांचल प्रथम विधान सभा के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला का अभिभाषण

उत्तरांचल राज्य के माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी एवं विधान सभा के माननीय सदस्य गण,

उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधान सभा के गठन पर मैं सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ। यह संतोष का विषय है कि सामान्य चुनावों का चुनौतीपूर्ण कार्य राज्य की जनता तथा सभी दलों के सहयोग एवं प्रशासन के प्रयासों से शान्तिपूर्ण एवं सुचारु रूप से सम्पन्न हो सका। मैं उत्तरांचल की जनता को विशेष रूप से बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपना राज्य बनने के बाद, पहली बार, अपनी विधान सभा चुनी है। राज्य की जनता द्वारा स्पष्ट बहुमत का जनादेश दिया गया है, जो स्थायित्व के साथ राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करने में निश्चित ही सहायक होगा। बहुमत प्राप्त दल ने अपने नेता के रूप में एक वरिष्ठ एवं अनुभव प्राप्त व्यक्तित्व को चुना है जो राज्य के लिए शुभ लक्षण है। मुझे आशा है कि उनके सुयोग्य निर्देशन एवं नेतृत्व में सरकार समयवद्ध आधार पर जनता की अपेक्षाओं तथा राज्य की क्षमताओं के अनुरूप चहुंमुखी विकास के लक्ष्य प्राप्त करेगी। इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि दलगत राजनीति, वर्ग, जाति, क्षेत्र आदि, की भावनाओं से ऊपर उठकर सभी के पूरे योगदान से हम इस लक्ष्य की ओर अग्रसर हों।

2. मेरी सरकार द्वारा राज्य का नाम उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड किये जाने की संस्तुति कर केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा।

3. पृथक उत्तराखण्ड राज्य की माँग को लेकर चले जन आन्दोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले, पुरोधाओं एवं शहीदों के बलिदान को सदा स्मरणीय रखने के

उद्देश्य से, राज्य के यथोचित स्थानों पर, भवनों एवं मार्गों को उनके नाम प्रदान किए जाने की कार्यवाही की जायेगी।

4. राज्य आन्दोलन के शहीद स्थलों में स्मारक विकसित करने की कार्यवाही भी की जायेगी।

5. राज्य के गठन के बाद लगभग 16 महीनों में बुनियादी व्यवस्थाएं स्थापित करने की दिशा में कई प्रयास किये गये। पुनर्गठन के सन्दर्भ में संस्थाओं, परिसम्पत्तियों, तथा विभिन्न सेवा संवर्गों के विभाजन, विभिन्न विभागों के संस्थागत ढांचों के निर्धारण तथा कई सैक्टरों के लिए नीति निर्धारण की दिशा में कुछ कार्य हुआ है, किन्तु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पुनर्गठन से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर अभी उत्तर प्रदेश के साथ सहमति नहीं बन सकी है, अथवा केन्द्र सरकार के निर्देश अपेक्षित हैं, पूर्व में तय किये गये विभागीय ढांचों के अनुसार नियुक्तियों व पदोन्नतियों आदि की कार्यवाही पूर्ण की जानी है, और कई क्षेत्रों में वास्तविक अनुभव के आधार पर इन ढांचों के पुनरीक्षण की आवश्यकता है। इसी प्रकार अध्ययन एवं अनुभव के आंकलन के आधार पर नीतियों के पुनर्परीक्षण और विभिन्न महत्वपूर्ण सैक्टरों में मूल नीति निर्धारण की भी आवश्यकता होगी। यह कार्यवाही मेरी सरकार द्वारा अगले तीन माह के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी।

6. मेरी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि उत्तर प्रदेश के साथ पुनर्गठन से सम्बन्धित सभी प्रकरणों को वार्ता करके सदभाव के माहौल में तय किया जायें, और पड़ोसी राज्य के रूप में स्थाई तौर पर मधुर, एवं एक दूसरे के लिये सहायक, संबंध स्थापित किये जायें।

7. उत्तरांचल राज्य के गठन के दिन से ही हमें विरासत में एक कमजोर वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति प्राप्त हुई है, इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि

कार्ययोजनाएं इस प्रकार बनायी जायं कि राज्य के सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि राज्य के आन्तरिक आय के श्रोतों में यथासम्भव वृद्धि करते हुए, राज्य को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में अग्रसर किया जा सके। हम केन्द्र सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग रु. 550 करोड़ की विशेष केन्द्रीय सहायता वार्षिक योजना की भरपाई हेतु दी है और उत्तरांचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया। किन्तु इसके कम में वार्षिक योजना का जो आकार हमें प्राप्त हो सका वो पर्याप्त नहीं है। 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम में विशेष दर्जा राज्य के रूप में जो अतिरिक्त सहायता एवं संसाधन हमें राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त होने चाहिए थे वो उपलब्ध नहीं कराये जा सके हैं। मेरी सरकार द्वारा तात्कालिक एवं दीर्घकालीन आर्थिक पैकेज प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार के साथ अनुश्रवण एवं सतत् प्रयास प्रारम्भ कर दिये गये हैं, इन्हें जारी रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों तथा सैक्टरों से संबंधित केन्द्रीय तथा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं को सूचीबद्ध कर, तथा सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श कर, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन योजनाओं में अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त हो सके, तथा राज्य की योजनाओं की समीक्षा करके, यथा आवश्यकता, उनका युक्तिकरण भी किया जायेगा, ताकि अनावश्यक दोहरापन न रहे।

8. मेरी सरकार द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय एवं केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों, निगमों एवं अभिकरणों से लगातार सम्पर्क एवं संवाद स्थापित कर सभी प्रासंगिक विभागों द्वारा नयी परियोजनाएं बनाकर स्वीकृत कराये जाने के प्रयास तेज किए जाएंगे। प्राथमिकता वाले सैक्टरों, तथा हर प्रकार के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, बैंकों के ऋण-जमा अनुपात को उल्लेखनीय हद तक बढ़ाए जाने के प्रभावी प्रयास भी किए जायेंगे।

9. संसाधनों में वृद्धि के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि प्रशासनिक एवं अनुत्पादक आयोजनेत्तर खर्चों में कमी लाई जाये। इस उद्देश्य से प्रशासनिक खर्चों में यथावश्यक मितव्ययता बरतने के प्रयास किये जाएंगे। सरकार का यह भी प्रयास होगा कि आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों की व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि ऐसी नीतियों के सन्दर्भ में भी राज्य सरकार को अधिक से अधिक संसाधन केन्द्र सरकार एवं संस्थागत वित्त स्रोतों से प्राप्त हो सकें।

10. विकास के संदर्भ में प्रशासनिक प्रबन्धन व्यवस्था के बारे में मेरी सरकार का मत है कि राज्य में 73वें व 74वें संविधान संशोधन की व्यवस्था के अनुरूप पंचायत राज पर आधारित विकेन्द्रीकृत प्रणाली को स्थायित्व दिया जाये। इसी परिकल्पना के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने, और अधिक से अधिक जन-सहभागिता विकास कार्यों के नियोजन एवं क्रियान्वयन में प्राप्त करने, का प्रयास सरकार द्वारा किया जायेगा।

11. पुनर्गठन के पश्चात राज्य को प्राप्त प्रशासनिक ढांचा राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त नहीं था, और इसमें कई स्तरों पर कमियाँ अभी भी विद्यमान हैं। इसकी गहन समीक्षा करके, समयबद्ध आधार पर, इन कमियों को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। मेरी सरकार राज्य कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील रहेगी। विकल्पधारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों को उनके विकल्प के अनुकूल उत्तर प्रदेश में समायोजित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग प्राप्त करने के प्रयास भी किए जाएंगे।

12. मेरी सरकार का यह भी प्रयास होगा कि प्रशासन में अधिक से अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही लायी जाय। अन्य बातों के साथ साथ इसके लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित व्यवस्था स्थापित किया जाना आवश्यक होगा। इस दिशा में केन्द्र सरकार की सहायता से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में सूचना

प्रौद्योगिकी पर आधारित सामुदायिक सूचना केन्द्रों की स्थापना की जायेगी, प्रत्येक जनपद, तहसील एवं विकास खण्ड को कम्प्यूटर प्रणाली से जोड़ा जायेगा, प्रत्येक विभाग के विकास एवं निर्माण कार्यों को, निकट समीक्षा एवं अनुश्रवण के दृष्टिकोण से, कम्प्यूटर पर सूचीबद्ध किया जायेगा, तथा ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी आम जनता को कम्प्यूटर एवं इन्टरनैट प्रणाली के माध्यम से सुलभ हो सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना गठित करके चरणबद्ध आधार पर दो वर्ष के अन्दर कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

13. शासन एवं प्रशासन में जवाबदेही तथा स्वच्छता स्थापित करने के उद्देश्य के संदर्भ में मेरी सरकार 6 महीने के अन्दर लोकपाल अथवा लोकायुक्त की भी प्रभावी व्यवस्था स्थापित करेगी। इस हेतु अध्ययन कर प्रस्ताव गठित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

14. मेरी सरकार की नीतियों का एक मुख्य केन्द्र बिन्दु होगा कि नीतियां एवं प्रबन्धन व्यवस्था इस प्रकार की हो जिससे अधिकाधिक रोजगार और आमदनी के श्रोतों का सृजन किया जा सके। राजकीय सेवाओं में उपलब्ध रिक्तियों को समयबद्ध आधार पर भरा जायेगा, और ऐसा करते समय यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्थानीय लोगों एवं प्रतिभाओं को इस प्रक्रिया में समुचित लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त आधुनिक आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश में हमें यह मानकर चलना होगा कि रोजगार एवं आय के साधन मुख्यतः विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा निजी उद्यमिता के माध्यम से ही सृजित हो सकेंगे। पिछले वर्षों में समेकित रोजगार नीति का अभाव रहा है। मेरी सरकार यथाशीघ्र रोजगार नीति बनाएगी, जिसमें राज्य की आर्थिक क्षमताओं को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का भी पुनरीक्षण किया जायेगा, और आवश्यक दिशाएं चिन्हित की जायेंगी। हमारा लक्ष्य है कि आगामी दो वर्ष में लगभग 2 लाख

बेरोजगारों के लिए सरकारी, गैर सरकारी तथा स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके।

15. उत्तरांचल राज्य का अधिकांश भाग, विशेष कर यहां के पर्वतीय क्षेत्र में, अत्यन्त जटिल भौगोलिक परिस्थितियों, और दुरुह, छोटी छोटी तथा छितरी हुई आबादियों, के चलते उच्च कोटि की आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं की कमी बनी हुई है। मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी कि इस प्रकार की अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना एक निश्चित कार्य योजना बना कर समयवद्ध आधार पर सुनिश्चित की जाये।

16. मेरी सरकार द्वारा अगले छः माह के अन्दर प्रत्येक जनपद के लिए, तथा उसके आधार पर पूरे राज्य के लिए, एक सड़क मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा। इसका उद्देश्य यह होगा कि विभिन्न स्तरों की आबादियों एवं गन्तव्यों को जोड़ने के लिए उचित मानकों तथा उच्च गुणवत्ता के मार्गों के निर्माण, सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण की एक निश्चित कार्य योजना बनाई जा सके। वर्षों से अधूरे पड़े कार्यों को समयवद्ध आधार पर पूरा करने को वरीयता दी जायेगी। यह सभी व्यवस्थाएं करते समय यह भी प्रयास किया जायेगा कि मार्ग निर्माण से सम्बन्धित केन्द्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके, और बाह्य सहायता के श्रोतों से भी संसाधन जुटाये जा सकें। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जो वार्षिक आवंटन राज्य को अब तक प्राप्त हो रहा है, उसमें उल्लेखनीय वृद्धि के लिए भी भारत सरकार के स्तर पर प्रयास किए जायेंगे। बाह्य तकनीकी एवं सहायता से राज्य में एक्सप्रेसवे (expressways) बनाए जाने की दिशा में भी प्रयास किए जायेंगे।

17. मार्गों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग को सक्षम एवं चुस्त दुरुस्त बनाने, तथा उसमें जवाबदेही लाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। यह

भी प्रयास किया जायेगा कि स्थानीय निजी निर्माण संस्थाओं को भी इस दृष्टिकोण से और सक्षम बनाया जाये — इस हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के प्रयास भी किये जायेंगे। अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए मार्ग निर्माण की विधियों एवं मानकों का भी पुनरीक्षण किया जायेगा। साथ ही मार्ग निधि स्थापित करने के बिन्दु पर भी विचार किया जायेगा।

18. उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद अभी तक पूर्ववर्ती राज्य का परिवहन निगम ही इस राज्य में भी कार्यरत है। राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, यहाँ पर विद्यमान सरकारी एवं गैर सरकारी परिवहन व्यवस्थाओं, तथा यात्रा, पर्यटन, आदि, के संदर्भ में यहाँ की विशिष्ट आवश्यकताओं, के दृष्टिगत मेरी सरकार द्वारा 3 माह के अन्दर परिवहन नीति बनाई जायेगी, जिसके अनुसार राज्य के हित में, निगम, आदि के रूप में, सर्वउपयुक्त संस्थागत व्यवस्था भी स्थापित की जायेगी।

19. उत्तरांचल राज्य के गठन एवं देहरादून की अन्तरिम राजधानी के रूप में घोषणा के पश्चात् दिल्ली से देहरादून एवं देहरादून से राज्य के अन्य भागों के मध्य मार्गीय, रेल एवं वायु सम्पर्क त्वरित और सुविधापूर्ण बनाए जाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हम केन्द्र सरकार के आभारी हैं कि वर्तमान वर्ष के बजट में देहरादून से दिल्ली के लिए अतिरिक्त शताब्दी सेवा प्रस्तावित की गयी है। राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया जायेगा कि यह देहरादून एवं दिल्ली के मध्य सीधी चलायी जाय, ताकि यात्रा समय में पर्याप्त कमी आ सके। इसी प्रकार दिल्ली से देहरादून शताब्दी सेवा को भी सीधे चलाए जाने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया जायेगा। देहरादून-टनकपुर के बीच सीधी रेल सेवा स्थापित करने, दिल्ली-रामनगर-काठगोदाम के बीच सुविधाजनक रेल लिंक, तथा देहरादून से ऋषीकेश तथा ऋषीकेश और कोटद्वार को मुख्य रेल मार्ग से जोड़ने के सतत प्रयास केन्द्र सरकार

के साथ किए जायेंगे। उत्तरांचल में स्थित विभिन्न हवाई पट्टियों को भी समयबद्ध आधार पर विकसित एवं क्रियाशील किया जायेगा।

20. उत्तरांचल राज्य में विद्युत उत्पादन की अपार सम्भावनाएं विद्यमान हैं, लेकिन इनका सुनियोजित दोहन एवं उपयोग नहीं हो सका है। मेरी सरकार का लक्ष्य है कि राज्य सैक्टर, केन्द्रीय संस्थानों तथा निजी सैक्टर के विकासकर्ताओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 500 मेगावाट और 5 वर्ष में 3000 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जाये। ऐसा करते समय वर्षों से रुकी हुई मनेरी भाली द्वितीय चरण, लखवाड़ व्यासी एवं किशारू परियोजनाओं पर आगे कार्य बढ़ाने की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जायेगी, तथा वर्तमान परियोजनाओं के क्षमता उपयोग में भी वृद्धि की जायेगी। इसके अतिरिक्त विष्णुप्रयाग, श्रीनगर तथा धौलीगंगा परियोजनाओं को भी समयबद्ध आधार पर पूरा करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार के साथ वार्ता कर, कार्यवाही की जायेगी।

21. टिहरी बांध परियोजना को समयबद्ध आधार पर पूरा कराए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से सभी आवश्यक कदम उठाए जायेंगे। विशेषकर, लगातार केन्द्र सरकार के साथ प्रयास करके, तथा स्थानीय स्तर पर प्रभावी समीक्षा एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करते हुए, बांध प्रभावित परिवारों का यथापेक्षित पुनर्वास सुनिश्चित किया जायेगा।

22. राज्य के लगभग 3000 गाँव अभी भी ऐसे हैं जहां विद्युत व्यवस्था नहीं है। उनमें से लगभग 650 गाँवों को ग्रिड के साथ जोड़ना शायद सम्भव न हो। अतः ऐसे समस्त ग्रामों में विभिन्न वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना का गठन एवं क्रियान्वयन किया जायेगा, तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप वर्ष 2007 तक प्रत्येक गाँव को विद्युतीकृत किया जायेगा। राज्य के कतिपय क्षेत्रों में वोल्टेज की समस्या के निराकरण के लिए 6 माह के अन्दर कार्यवाही

सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त पूरे राज्य में 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति 3 माह के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की प्रबन्धन व्यवस्था का भी पुनरीक्षण किया जायेगा ताकि बिजली की चोरी एवं पारेषण क्षति नियंत्रित हो सके तथा आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। इन सभी कार्यों के लिए केन्द्र सरकार की योजनाओं, यथा त्वरित ऊर्जा विकास योजना (A.P.D.P.), प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना, आदि, तथा संस्थागत वित्त स्रोतों से भी, अधिकतम धनराशि प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे।

23. मेरी सरकार द्वारा जल नियोजन एवं प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसका एक पहलू सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा दूसरा पेयजल से संबंधित है। जल प्रबन्धन के पूरे विषय का गहनता से अध्ययन कर, केन्द्र सरकार की सहमति से, पृथक जल नीति तैयार करने की दिशा में कार्यवाही की जायेगी।

24. उत्तरांचल में कृषि के अधीन कुल 7.87 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल का मात्र 43 प्रतिशत क्षेत्रफल वर्तमान में सिंचित है। यह अधिकांशतया प्रदेश के मैदानी जनपदों में है। अर्थात् अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा पर आधारित कृषि होती है। इस क्षेत्र में राजकीय एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचाई की जो व्यवस्थाएं की गयी हैं, उनका भी अनुरक्षण की समस्याओं तथा बाढ़ एवं भूस्खलन आदि के कारण पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। पिछले वर्षों में स्थापित की गयी अनेक नहरें व गूल तथा हाइड्रम (Hydrum) इकाइयों क्षतिग्रस्त एवं अन्य कारणों से अक्रियाशील हैं। अतः, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में, सिंचाई की पूरी व्यवस्था का गहन पुनर्परीक्षण आवश्यक है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, और उपयुक्त सिंचाई व्यवस्था के विषय में यथाशीघ्र नीति बनाये जाने का प्रयास किया जायेगा।

25. राज्य के अन्तर्गत स्थित अधिकांश मुख्य सिंचाई परियोजनाओं एवं जलाशयों से सिंचाई का लाभ वस्तुतः उत्तर प्रदेश को ही प्राप्त होता है। इस सन्दर्भ में सिंचाई विभाग की काफी परिसम्पत्तियाँ अभी भी उत्तरांचल के नियंत्रण में नहीं आ सकी हैं। मेरी सरकार द्वारा प्राथमिकता देते हुए, ऐसी परिसम्पत्तियों को हस्तान्तरित कराने की कार्यवाही की जायेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में मध्यम एवं बृहद स्तर की बहुउद्देशीय सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के उद्देश्य से सर्वेक्षण, अन्वेषण, परिकल्प एवं अभियंत्रण से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरांचल राज्य में सिंचाई परिकल्प संस्थान तथा सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थापित हैं, जिनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में सिंचाई विभाग का प्रशिक्षण संस्थान भी विद्यमान है, जिसकी क्षमता का उपयोग अन्य अभियंत्रण विभागों के लिए भी किया जा सकता है। इन संस्थागत व्यवस्थाओं का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए 3 माह के अन्दर आवश्यक निर्णय लेकर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जल विद्युत परियोजनाओं के सिविल कार्यों के सन्दर्भ में सिंचाई विभाग की जनशक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जायेगा कि एकीकृत निर्देशन में ऐसी परियोजनाओं का निर्माण समयबद्धता के आधार पर सुनिश्चित हो सके।

26. पेयजल व्यवस्था से संबंधित वर्तमान संस्थागत ढांचे को युक्तियुक्त, सशक्त एवं प्रभावी बनाने की कार्यवाही 3 माह के अन्दर की जायेगी। इस हेतु विभिन्न विकल्पों के परीक्षण हेतु मंत्रि परिषद की एक समिति गठित की जा चुकी है। मेरी सरकार का उद्देश्य है कि 3 वर्ष के अन्दर श्रोतों की उपलब्धता को देखते हुए दीर्घकालीन दृष्टिकोण से सुदृढ़ योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक गांव एवं मजरे में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया जाये। इसी उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में वर्तमान में 867 ग्रामों में चल रही 'स्वजल' परियोजना का 2500 और ग्रामों में विस्तार करने के लिए बाह्य श्रोतों से रु. 500 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने की कार्यवाही भी मेरी सरकार द्वारा की जायेगी, तथा जनपद हरिद्वार में लगभग

रु0 40 करोड़ की सैक्टर रिफार्म परियोजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। नीति के रूप में पेयजल योजनाओं के निर्माण, संचालन तथा अनुरक्षण में अधिक से अधिक जन-सहभागिता प्राप्त की जायेगी।

27. उत्तरांचल की विशिष्ट परिस्थितियों में जल संवर्धन एवं जल संरक्षण का विशेष महत्व है। इस दृष्टि से जलागम पर आधारित नियोजन की सामान्य व्यवस्था के अतिरिक्त, वाटर हारवैस्टिंग एवं जल संरक्षण की विशेष योजना तैयार की जायेगी — जहां-जहां सम्भव हो यह व्यवस्था विभिन्न विभागों की प्रासंगिक चालू योजनाओं के साथ डवटेलिंग करके सुनिश्चित की जायेगी। जलपूर्ति के लिए, जहां-जहां सम्भव होगा वहां, सस्ती किन्तु लाभकारी विधियों, यथा हैन्डपम्पस्, का प्रसार एवं उपयोग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रमुख नदियों, गंगा, यमुना, सरयू आदि की पवित्रता एवं शुद्धता बनाये रखने के लिए विशेष योजना बनाई जायेगी।

28. राज्य में सामान्य रूप से, और विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की तात्कालिक आवश्यकता है। अतः मेरी सरकार ने यह निश्चय किया है कि तीन वर्षों के अन्दर हर जिले में बेस अस्पताल और तहसील स्तर पर 50 शैय्याओं वाले अस्पतालों की स्थापना की जायेगी। विश्व बैंक पोषित स्टेट हैल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत 35 चिकित्सा संस्थाओं में नवीकरण तथा उपकरणों की कमी को पूरा करने का कार्य किया जायेगा, तथा चिकित्सा संस्थाओं को रोगी वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे, ताकि जनता को सचल चिकित्सा सेवाएं सुलभ करायी जा सकें। पूर्व में की गई घोषणाओं के क्रम में हल्द्वानी में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार से प्राथमिकता पर स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त दूर दराज क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए न्यूनतम आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं स्थापित कर

चिकित्सा एवं पैरा मेडिकल व्यवस्था स्थापित करने की योजना बनाई जायेगी। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों के कार्यालयों तथा बड़े चिकित्सालयों में कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित किया जायेगा। दूरस्थ स्थानों पर सूचना प्रौद्योगिकी माध्यमों से आधुनिकतम चिकित्सा सेवाएं टैली-मेडिसिन (tele-medicine) द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जायेगी।

29. विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों, यथा क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम तथा अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम को केन्द्र सरकार की सहायता से राज्य में सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाया जायेगा। राष्ट्रीय क्षय निवारण कार्यक्रम, जो अभी दो ही जिलों में चल रहा है, को केन्द्र सरकार के सहयोग से पूरे राज्य में लागू किया जायेगा।

30. आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का, हिमालयी क्षेत्र में जड़ी-बूटियों की प्रचुर उपलब्धता के सन्दर्भ में, राज्य के लिए विशेष महत्व है। अतः मेरी सरकार द्वारा इन चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार किया जाएगा तथा तत्संबंधी शोध एवं दवाइयों के निर्माण के लिए निश्चित कार्ययोजना बनायी जायेगी। हरिद्वार में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना समयबद्ध आधार पर की जायेगी। वर्तमान शोध संस्थानों को सुदृढ़ किया जायेगा तथा मोहान स्थित आई.पी.सी.एल. तथा रानीखेत स्थित ड्रग फैक्ट्री के उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण की दिशा में कार्यवाही की जायेगी।

31. अगले तीन माह में मेरी सरकार द्वारा स्वास्थ्य नीति की घोषणा की जायेगी।

32. राज्य की साक्षरता दर लगभग 72 प्रतिशत है, तथा शिक्षा के क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य में पूर्व से ही काफी व्यापक ढांचा विद्यमान है। इसे योजनावद्ध ढंग से जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना तथा सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के माध्यम से और

सुदृढ़ किया जायेगा। मेरी सरकार का मुख्य ध्येय होगा— शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना। इस दृष्टिकोण से पठन-पाठन की वर्तमान संस्थागत व्यवस्था का भी पुनरीक्षण किया जायेगा। प्रतिभावान छात्रों को और बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्येक जनपद में, प्रतिभा केन्द्र के रूप में, एक-एक राजीव गांधी राज्य नवोदय विद्यालय की स्थापना की जायेगी। गुणात्मक सुधार एवं बच्चों के लिए भावी सम्भावनाएं विकसित करने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर शिक्षा तथा शिक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग के लिए व्यापक योजना क्रियान्वित की जायेगी। महाविद्यालय स्तर तक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, तथा निर्धन छात्रों के लिए प्रशिक्षण के प्रबन्ध किये जायेंगे। शिक्षकों को केन्द्रीय वेतन आयोग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णयों का यथोचित रूप से लाभ दिलाया जायेगा।

33. उच्च शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के विशेष प्रयास किये जायेंगे। महाविद्यालयों से सम्बन्धित व्यवस्था की समीक्षा कर प्रत्येक जनपद में सुविधायुक्त एक महाविद्यालय, उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्यवाही की जायेगी।

34. राज्य में स्थित अभियंत्रण महाविद्यालयों के आई.आई.टी. जैसी संस्थाओं के साथ सम्बन्ध जोड़कर इनमें पठन-पाठन के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में कार्यवाही की जायेगी। नये अभियंत्रण महाविद्यालयों की आवश्यकता के संबंध में परीक्षणोपरान्त कार्यवाही की जायेगी। पौलिटैक्निक्स तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रणाली, तथा इनमें प्रचलित व्यवसायों को युक्तियुक्त, सुदृढ़ एवं रोजगार परक बनाया जायेगा। ऐसा करते समय परम्परागत शिल्प कला, पर्यटन विधाओं, आदि पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। साथ ही इन संस्थाओं तथा श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग और औद्योगिक जगत के मध्य निकट सम्बन्ध स्थापित किये जायेंगे, ताकि

वर्तमान परिवेश में इन संस्थाओं के माध्यम से ठोस रोजगार अवसरों का सृजन हो सके। निजी सैक्टर में अभियंत्रण, चिकित्सा शिक्षा एवं मैनेजमेन्ट संस्थाएं खोले जाने को भी सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसी संस्थाओं द्वारा पठन-पाठन एवं तत्संबंधी सुविधाओं के मानक अवश्य पूरे किये जायें।

35. उत्तरांचल की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों तथा यहाँ पर उपलब्ध जैविक व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिगत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास का लाभ प्राप्त करने की विशाल सम्भावनाएं विद्यमान हैं। यद्यपि केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से कुछ क्षेत्रों में पहल हुई है, तथापि इस पूरे क्षेत्र में नियोजित ढंग से आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से 3 माह के अन्दर राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया जायेगा तथा विषय चिन्हित करके प्रौद्योगिकी मिशन (Technology Mission) प्रणाली के आधार पर कार्य योजनाएं बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तरांचल राज्य में स्थित अनेक प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ लगातार एवं गहन विचार-विमर्श तथा परामर्श की व्यवस्था भी की जायेगी।

36. उत्तरांचल की वर्तमान अर्थ व्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है। तथापि तराई, भावर एवं हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों को छोड़ कर अधिकांश क्षेत्रों में अत्यधिक छोटे आकार की एवं छितरी हुई ज़ोतों, सिंचाई के साधनों की कमी, दुरुह भौतिक परिस्थितियों, तथा सीमित संचार एवं बाजार की उपलब्धता के कारण ग्रामीण परिवारों को अधिकांशतः अलाभकारी कृषि (subsistence farming) पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसका सीधा प्रभाव उनके जीवन स्तर पर पड़ता है। मैदानी क्षेत्रों में भी परम्परागत कृषि उत्पादों के सरप्लस के कारण विपणन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए विविधिकृत कृषि की रणनीति

इस प्रकार बनाई जायेगी कि उच्च उत्पादकता वाले चिन्हित कृषि उत्पादों का प्रसार हो सके, और इनके लिए उच्च गुणवत्ता के बीज, तकनीकी विधियों, पोस्ट हार्वेस्ट अवस्थापना सुविधाओं तथा भण्डारण एवं विपणन व्यवस्थाओं की पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ ही उत्तरांचल की परम्परागत कृषि फसलों यथा राजमा, ओगल आदि के संरक्षण एवं उत्पादकता में वृद्धि, तथा पर्वतीय क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरक के कम उपयोग की पृष्ठभूमि में जैविक कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन दिए जाने की कार्यवाही की जायेगी। राज्य में स्थित पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की क्षमताओं के पूर्ण उपयोग के साथ-साथ विभिन्न केन्द्रीय तकनीकी एवं अनुसंधान संस्थाओं के साथ निकट समन्वय स्थापित किया जायेगा, और प्रसार क्रियाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की जायेगी। वर्तमान में केवल तीन जनपदों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित हैं। सरकार द्वारा शेष सभी जनपदों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जहाँ-जहाँ सम्भव होगा, वहां निजी सैक्टर विशेषज्ञता एवं निवेश का भी लाभ उठाया जायेगा।

37. पर्वतीय क्षेत्रों में छितरी हुई जोतों को और उपजाऊ बनाने के उद्देश्य से जोतों की निजी एवं स्वैच्छिक आधार पर चकबन्दी करने पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी। प्रत्येक किसान को जोत बही समयबद्ध आधार पर उपलब्ध कराई जायेगी। तहसील स्तर पर भूमि अभिलेख के रखरखाव को कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा। किसानों के हित में व्यवहारिक फसल बीमा योजना लागू की जायेगी। कृषि क्षेत्र तथा कृषकों की समस्याओं की निरन्तर समीक्षा तथा नीतिगत निर्णय लेने के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में कृषक मित्र परिषद का गठन किया जायेगा।

38. औद्यानिकी क्षेत्र में फलों की खेती के साथ-साथ मसालों, गैर मौसमी सब्जियों तथा फूलों की खेती को प्राथमिकता दी जायेगी। इन सभी उत्पादों के अन्तर्गत क्षेत्रफल में विस्तार के साथ, उत्पादन, उत्पादकता तथा गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय

वृद्धि की जायेगी, तथा निर्यातोन्मुख परियोजनाएं भी स्थापित की जायेंगी। पंचायतों के वन क्षेत्र में भी फलदार वृक्ष व अन्य उपयोगी नान-टिम्बर वन प्रजातियों लगाने का कार्य सुनियोजित ढंग से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चाय की खेती के उल्लेखनीय विस्तार के लिए निश्चित समयबद्ध कार्य योजना 3 माह के अन्दर तैयार की जायेगी।

39. पर्वतीय क्षेत्रों में जड़ी-बूटी, हर्बल और औषधीय पेड़ पौधों के व्यापक स्तर पर कृषिकरण के लिए 3 माह के अन्दर समेकित एवं बहुमुखी कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रारम्भ में 20-25 चिन्हित प्रजातियों के संबंध में सघन कार्य किया जायेगा। वन भूमि का उपयोग जड़ी-बूटी नर्सरियों की स्थापना के लिए भी किया जायेगा। वन नीति में औषधीय पेड़ पौधों के संरक्षण, विकास एवं प्रसार का एक मुख्य स्थान होगा।

40. उद्यान निदेशालय को सुदृढ़ करके पूरी तरह कियाशील किया जायेगा। भरसार (पौड़ी गढ़वाल) में औद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना के कार्य को समयबद्ध आधार पर पूरा करने के लिए योजना बनाई जायेगी तथा अगले शिक्षण सत्र से हार्टी बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स प्रारम्भ करने का प्रयास किया जायेगा।

41. उत्तरांचल की परिस्थितियों को देखते हुए स्वरोजगार के अवसरों के सृजन तथा ग्रामीणों की प्रति परिवार आय में वृद्धि के उद्देश्य से कृषि के साथ-साथ पशुपालन सेवाओं में उल्लेखनीय विस्तार किया जायेगा। नस्ल सुधार, पशु चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराये जाने, उत्पादकता में वृद्धि, तथा प्रभावी विपणन व्यवस्था स्थापित करने पर विशेष बल दिया जायेगा। महिला डेयरी विकास योजना में और विस्तार किया जायेगा। प्रदेश में मत्स्य विकास हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं जिनका नियोजित ढंग से विकास नहीं हुआ है, अतः मत्स्य विकास के लिए सरकार द्वारा पृथक नीति दो महीने के अन्दर बना कर उस पर कार्यवाही की जायेगी, और

ऐसा करते समय पर्यटन के साथ निकट समन्वय स्थापित किया जायेगा। इसी प्रकार भेड़ पालन से संबंधित कार्य ऊन के विपणन एवं प्रसंस्करण की क्रियाओं एवं व्यवस्थाओं से पृथक रखते हुए किया जाता रहा है। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समेकित रणनीति बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। पशुपालन सेक्टर के विकास के लिए, इसमें लगे उत्पादकों के उत्पादक संगठनों अथवा सहकारी संगठनों का गठन कर उनके माध्यम से उत्पादन, प्रसंस्करण, भण्डारण एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के प्रयास भी किए जायेंगे।

42. पूर्व उल्लिखित विभिन्न सैक्टरों तथा क्रियाओं का समावेश करते हुए, गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे परिवारों के उत्थान के लिये, विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजनाओं, अर्थात् स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण आवास योजना, आदि के अन्तर्गत बहुत बड़ी धनराशि व्यय की जा रही है। इन योजनाओं को एक अभियान के रूप में चलाया जायेगा, और इनमें व्यापक स्तर पर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जायेगा। इस कार्य में ग्राम्य विकास विभाग के अतिरिक्त प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संबंधित विभागों को भी लगाया जायेगा। इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु, तथा इनमें पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिए, प्रभावी व्यवस्था की जायेगी। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को खाद्यान्न के रूप में भी आंशिक भुगतान किये जाने की व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा की गयी है। इस दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी और चुस्त एवं सुदृढ़ करने के लिए कार्यवाही की जायेगी।

43. ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, और प्रदेश में विशेषतया डेयरी विकास जैसे क्षेत्रों में इसका अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के सिद्धान्त पर कृषि,

डेयरी, कुक्कुट तथा पशुपालन, मौनपालन जैसी आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए, तथा सहकारी माध्यम से ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, शीर्ष सहकारी एवं वित्त पोषण करने वाली राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय बढ़ाया जायेगा। ऐसी संस्थाओं से विभिन्न कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए विद्यमान सहकारी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए भी सहयोग प्राप्त किया जायेगा। सहकारी गतिविधियों में व्यापकता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा अनुसंशित नए सहकारिता अधिनियम का भी अध्ययन करके अगले दो माहों के अन्दर सरकार आवश्यक निर्णय लेगी और समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित करेगी।

44. उत्तरांचल राज्य के कतिपय जनपदों में काफी बड़े क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन हो रहा है। इसके आधार पर 10 चीनी मिलें सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। राज्य के निर्माण के बाद उत्तरांचल में स्थित मिलों को काफी हद तक गन्ना आपूर्ति के लिये उत्तर प्रदेश पर निर्भर रहना पड़ता है। यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बनी सहमति से गन्ने की व्यवस्था अभी तक होती रही है, तथापि इस संबंध में अनिश्चितता की स्थिति अभी भी विद्यमान है। इसे दूर करने के लिये मेरी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ दीर्घकालीन व्यवस्था हेतु सहमति बनाने के प्रयास किये जायेंगे। इसके साथ-साथ गन्ने के अधीन क्षेत्रफल में सम्भव विस्तार तथा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए यथाशीघ्र कार्य योजना बनाई जायेगी। राज्य निर्माण के पश्चात सरकारी एवं सहकारी मिलों के संचालन एवं पर्यवेक्षण के लिए उचित संस्थागत व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है। इस संबंध में यथाशीघ्र व्यवस्था स्थापित की जायेगी। गन्ना, धान व अन्य कृषि उत्पादों, जिनकी खरीद राज्य सरकार के माध्यम से होती है, के मूल्य का नियमित भुगतान कराया जायेगा, और इस हेतु भारत सरकार व केन्द्रीय संस्थाओं व निगमों की भी सहायता प्राप्त की जायेगी।

45. राज्य का लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्रफल वन क्षेत्र है। यह तथ्य पर्यावरणीय सुरक्षा के संदर्भ में अतिमहत्वपूर्ण है। किन्तु इसके साथ-साथ इस स्थिति से आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भी कई महत्वपूर्ण बिन्दु उत्पन्न होते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, आरक्षित वन भूमि सहित वन भूमि के क्षेत्रफल का कम से कम 20 प्रतिशत क्षेत्रफल सामुदायिक नियंत्रण एवं प्रबन्धन में लाये जाने की कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जायेगी। वन सम्पदा में गाँववासियों को उनके पूर्ण परम्परागत हक-हकूक दिलाये जाने के प्रयास किए जायेंगे। वन पंचायतों के गठन के कार्य को प्रोत्साहित किया जायेगा और वन पंचायत नियमावली में इस प्रकार का संशोधन किया जायेगा, जिससे इसके प्रबन्धन में जन सहभागिता, विशेष रूप से महिलाओं की सहभागिता बढ़ सके। चीड़ एवं देवदार आदि प्रजाति के बृक्षों के वैज्ञानिक विधियों पर आधारित दोहन कर सकने की दिशा में सरकार द्वारा प्रयास किए जायेंगे, ताकि बिना वनों को क्षीण किए हुए इस मूल्यवान प्राकृतिक सम्पदा के आधार पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना व अन्य आय अर्जित करने की संभावनाएं भी बन सकें।

46. विभिन्न वन उत्पादों जैसे— जड़ी बूटी, लीसा, रिगाल, भिमल, खैर, मूँज व भावर घास एवं काष्ठ आदि, पर आधारित लघु उद्योगों का विकास किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में इमारती लकड़ी के बिक्री डिपो न होने के कारण आम जनता को लकड़ी प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों के निवारण हेतु वन निगम द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान चिन्हित कर डिपो खोले जायेंगे। सुदूरवर्ती ग्रामीण जनता और विशेषकर महिलाओं की कठिनाइयों दूर करने व वनों को क्षति से बचाने के लिए अधिक से अधिक रसोई गैस एवं सौर ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। वन नीति के अनुरूप वन मार्गों के सुदृढीकरण एवं जनता की सुविधा के लिए इनके उपयोग के लिए सम्भव प्रयास किये जायेंगे।

47. उत्तरांचल में पर्यावरण के संरक्षण हेतु आम लोगों में जागरूकता लाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यथाशीघ्र क्रियाशील किया जायेगा। वन्य जीवों की हत्या एवं दुर्घटना से मृत्यु की रोक-थाम हेतु ठोस योजना बनाकर विशेष प्रयास किए जाएंगे। साथ ही, वन्य जन्तुओं द्वारा किसानों की फसल को क्षति के सापेक्ष क्षतिपूर्ति की दरों का पुनरीक्षण किया जायेगा तथा फसलों की रक्षा के लिए प्रभावशाली उपाय किए जायेंगे। वन गुर्जरों के बहु आयामी एवं समेकित पुनर्वास की दिशा में कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जायेगी और उसके नियमित अनुश्रवण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जायेगी। कृषि क्षेत्रों, को संरक्षित क्षेत्र घोषित होने के कारण स्थानीय निवासियों के लिए उत्पन्न हो रही कठिनाइयों के निवारण के लिए ऐसे क्षेत्रों की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण कराने के प्रयास किये जायेंगे।

48. उत्तरांचल राज्य जैवविविधता के दृष्टिकोण से एक अत्यन्त धनवान खज़ाना है, और यह अत्यावश्यक है कि जहाँ, एक ओर, उसका संरक्षण किया जाये वहीं दूसरी ओर, यह भी आवश्यक है कि आधुनिक वैज्ञानिक साधनों एवं विधियों का उपयोग करते हुए जनहित में चिन्हित प्रजातियों का विकास एवं प्रसार भी किया जाये। ऐसा करते समय आई.पी. आर. (I.P.R.) तथा डब्ल्यू.टी.ओ.(W.T.O.) आदि व्यवस्थाओं का भी राज्य के हित में पर्याप्त ध्यान रखा जाना होगा। इस परिप्रेक्ष्य में उत्तरांचल की जैविक विविधता के विस्तृत सूचीकरण एवं उसकी रक्षा के लिए कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध आधार पर कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त जैविक प्रौद्योगिकी (Bio-Technology) विकास की महत्वाकांक्षी योजना सरकार द्वारा बनाकर क्रियान्वित की जायेगी।

49. सामान्य रूप से उत्तरांचल के अन्तर्गत विद्यमान कच्चे माल एवं बाजार की सीमितताओं के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक क्षेत्र में यद्यपि भारी एवं मध्यम उद्योगों की

स्थापना के अवसर अपेक्षाकृत कम हैं, तथापि कतिपय जनपदों एवं क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों की सम्भावनाएं उपलब्ध हैं। इन सम्भावनाओं को साकार रूप देने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर राज्यों की भाँति उत्तरांचल में उद्योगों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार केन्द्र सरकार के साथ कारगर प्रयास करेगी। इसके साथ-साथ, राज्य में बन्द पड़े, अथवा बन्दी के कगार पर, उद्योगों के पुर्नजीविकरण की दिशा में प्रयास किये जायेंगे। इस संदर्भ में, सभी प्रकार के उद्योगों के लिए 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ, राज्य सरकार के स्तर से उपलब्ध कराये जा सकने वाली अन्य सुविधाओं एवं प्रोत्साहनों पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा। ऐसा करते समय उद्योग तथा व्यापार के हित में करों के सरलीकरण की दिशा में भी कार्यवाही की जायेगी। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिये वित्त पोषण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 3 माह के अन्दर औद्योगिक वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की जायेगी।

50. उत्तरांचल में उपलब्ध कच्चे माल, कृषि एवं औद्यानिकी उत्पादों तथा स्थानीय हस्तशिल्प कला पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष कार्य योजनाएं गठित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस परिप्रेक्ष्य में लम्बे समय से आलम्बित केन्द्र सरकार की ग्रोथ सेन्टर (growth centre) योजना के अन्तर्गत कार्यवाही तेज की जायेगी। हस्त शिल्प एवं हस्तकला पर आधारित उद्योगों का विकास पर्यटन क्षेत्र में सूविनियर उद्योग के विकास के साथ निकट समन्वय रखते हुए किया जायेगा। इस हेतु निजी सैक्टर के सहयोग तथा केन्द्र सरकार की सहायता प्राप्त कर काफ़्ट डिजाइन केन्द्र, तथा उत्तरांचल हाट की भी स्थापना की जायेगी। देहरादून तथा राज्य के अन्य भागों में इलैक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों एवं साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्कों की स्थापना के लिए कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

51. मेरी सरकार का मत है कि उत्तरांचल में खनन पर आधारित उद्योगों की स्थापना, तथा खनन उत्पादों के विकास की व्यापक सम्भावनाएं हैं, किन्तु इस दिशा में नियोजित प्रयासों का अभाव रहा है, और ध्यान केवल खदान-चुगान तक केन्द्रित रहा है। मेरी सरकार द्वारा खनन सैक्टर का बृहद संदर्भ में अध्ययन कर विस्तृत नीति यथाशीघ्र तैयार की जायेगी, और इस हेतु विशेषज्ञों की सहायता भी प्राप्त की जायेगी। खदान-चुगान क्रियाओं के विषय में भी नीति का पुनरीक्षण किया जायेगा ताकि इस महत्वपूर्ण सम्पदा का राज्य के हित में बहुआयामी दृष्टिकोण से अत्यधिक सदोपयोग सुनिश्चित हो सके। ऐसा करते समय खदान-चुगान के कारोबार को एकाधिकार से मुक्त रखने, राजकीय राजस्व को बढ़ाने, उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने, तथा राजकीय परियोजनाओं तथा स्थानीय हक हकूकों के संदर्भ में निर्माण सामाग्री की उपलब्धता के बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगा।

52. पिछले वर्षों में पर्यटन को मात्र एक आकर्षण के रूप में देखा गया है, और चार धाम यात्रा को इस रूप में कि इस निमित्त तीर्थ यात्री तो आयेंगे ही, फलस्वरूप उत्तरांचल में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं होते हुए भी इनका विकास इन सम्भावनाओं के अनुरूप नहीं हो सका है। बस्तुतः पर्यटन एवं तीर्थाटन को उत्तरांचल के लिए आर्थिक विकास के एक प्रमुख साधन को रूप में देखा जाना होगा। पिछली सरकार ने इस दिशा में कुछ सार्थक कदम उठाये हैं, जिनके क्रम में मेरी सरकार द्वारा समयबद्ध आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। नये पर्यटन गन्तव्यों के विकास, विभिन्न पर्यटन केन्द्रों पर आवश्यक पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास, पर्यटक आवास गृहों एवं अन्य सुविधाओं के विकास एवं निर्माण के लिए मानकों एवं नियमों की स्थापना एवं क्रियान्वयन, गैर सरकारी विशेषज्ञों एवं निवेशकों की सहायता प्राप्त करने, तथा पर्यटन क्रियाओं में स्थानीय जनता की सहभागिता प्राप्त करने, तथा उनके माध्यम से बृहद स्तर पर स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाने, पर विशेष बल दिया जायेगा।

53. उत्तरांचल के नैसर्गिक सौन्दर्य के सन्दर्भ में विभिन्न वर्गों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन तथा कला एवं शिल्प ग्रामों, लॉगहट्स तथा टेन्टिड कैम्प साइट्स का विकास योजनाबद्ध ढंग से किया जायेगा। साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाओं का लाभ उठाने, तथा ऐसी क्रियाओं में स्थानीय नवयुवकों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने, के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर के साहसिक खेलों (रिवर राफ्टिंग, पर्वतारोहण, स्कीइंग, पैरा ग्लाइडिंग आदि) से संबंधित संस्थान की स्थापना की जायेगी। विभिन्न पर्यटन गन्तव्यों एवं क्रियाओं के सुनियोजित विकास के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेकर मास्टर प्लान तैयार कराए जाएंगे तथा निजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं चिन्हित करते हुए सरकार की ओर से परियोजना प्रस्ताव तैयार कराये जाएंगे। राज्य के पर्यटक आकर्षणों को प्रचारित करने के लिए देश-विदेश में सघन प्रचार अभियान चलाया जायेगा तथा इस सन्दर्भ में आधुनिक सूचना-प्रौद्योगिकी साधनों का भी पूरा-पूरा उपयोग किया जायेगा।

54. प्रदेश में आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए एक मास्टर प्लान बनाकर बहु आयामी कार्य योजना तैयार की जायेगी। कुम्भ/अर्द्ध कुम्भ, तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसे आयोजनों के साथ-साथ मुख्य तीर्थ स्थलों यथा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, छोटा कैलाश, हेमकुण्ड साहिब, पूर्णागिरी, नानकमत्ता साहिब, पाताल भुवनेश्वर, लाखामण्डल, हनोल, कलियर शरीफ आदि में उपलब्ध व्यवस्थाओं का पुनरीक्षण करके स्थाई अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। सभी मुख्य तीर्थ यात्रा मार्गों का सुदृढीकरण करके तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा एवं उनके लिये नियोजित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। तीर्थ यात्रा मार्गों पर यात्री सुविधा केन्द्रों का विकास किया जायेगा तथा उनमें स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित कर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। तीर्थ आधारित पर्यटन के लिए प्रचार-प्रसार नीति निर्धारित की जायेगी।

55. उत्तरांचल की लोक कला, साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण, विकास एवं प्रसार के लिए विद्यमान संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा करके, आवश्यकतानुसार इनका विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। राज्य में एक वर्ष के अन्दर नवीन योजनाओं के रूप में भव्य बहुउद्देशीय सांस्कृतिक केन्द्र, हैरिटेज सेंटर, तथा उदयशंकर मैमोरियल की स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त समयबद्ध आधार पर पूरे राज्य में हैरिटेज साइट्स (Heritage Sites) का चिन्हीकरण करके उनके संरक्षण एवं विकास की योजना गठित की जायेगी।

56. राज्य के अन्तर्गत सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं की विशेष भूमिका एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके दृष्टिगत सरकार का यह प्रयास होगा कि विभिन्न विकास योजनाओं का पर्याप्त लाभ महिलाओं को दिलाया जा सके। इस हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूह गठित कर शासकीय व बैंक सहायता तथा प्रशिक्षण व विपणन, आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी। पृथक से महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से "स्वः शक्ति" एवं "स्वयं सिद्धा" योजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी, जिनके अन्तर्गत समूहों के माध्यम से महिलाओं को छोटी बचत जुटाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा, तथा आत्मविश्वास की वृद्धि कर रोजगार परक प्रशिक्षण देते हुए उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में प्रयास किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त अभी तक 54 विकास खण्डों में चल रही समन्वित बाल विकास योजना का समयबद्ध आधार पर पूरे राज्य में विस्तार किया जायेगा, जिससे राज्य के दूर-दराज क्षेत्रों में गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 6 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण, संदर्भ सेवाएं, टीकाकरण, अनुपूरक पोषाहार, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का लाभ दिलाया जा सके। महिलाओं के लिये राजकीय सेवाओं में आरक्षण भी प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

57. उत्तरांचल की युवा पीढ़ी, जो कि सैन्य शक्ति का प्रतीक रही है, के लिए खेल-कूद के क्षेत्र में सरकार अवस्थापना सुविधाओं तथा स्टेडियम, क्रीडागणों, व्यायामशालाओं, आदि के विस्तार एवं सुदृढीकरण के साथ प्रशिक्षण की आधुनिकतम व्यवस्था सुलभ कराने का प्रयास करेगी। शिक्षण संस्थाओं को खेल-कूद से जोड़ने में प्राथमिकता दी जायेगी तथा नवीन शिक्षण संस्थाओं को खेल-कूदों के लिए यथावश्यक मैदान आदि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी। सरकार प्रतिभावान एवं क्षमतावान खिलाड़ियों को यथावश्यक सुविधाएं तथा वातावरण सुलभ कराने का प्रयास करेगी, जिससे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे उदीयमान खिलाड़ी सफलता प्राप्त कर सकें। राज्य सरकार का यह भी प्रयास होगा कि खेल जगत रोजगार का माध्यम बन सके।

58. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए बहुउद्देशीय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था कराने के विशेष प्रयास किए जायेंगे। इस दृष्टिकोण से निगम को सुदृढ एवं समयबद्ध आधार पर क्रियाशील बनाया जायेगा। आश्रम पद्धति स्कूलों की व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किया जायेगा। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के परम्परागत हस्तशिल्पों का पुनर्जीवीकरण करने और इस हेतु प्रशिक्षण एवं उत्पादों के विपणन की उचित व्यवस्था करने के लिए विशेष प्रयास किए जायेंगे। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं द्राइबल सब-प्लान को और प्रभावी बनाने तथा केन्द्र सरकार से इनके लिए अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए जायेंगे।

59. अल्पसंख्यक आयोग को यथाशीघ्र गठित कर क्रियाशील किया जायेगा। राज्य में वक्फ बोर्ड तथा हज कमेटी के गठन की कार्यवाही 2 माह के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी। राज्य से जाने वाले हाजियों के लिए हज हाऊस का निर्माण किया जायेगा।

60. गोरखा समुदाय के सदस्यों को अन्य पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किए जाने के लिए सार्थक प्रयास किये जायेंगे। बंगाल के विस्थापितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाये जाने के प्रयास केन्द्र सरकार के साथ किये जायेंगे।

61. उत्तरांचल राज्य में आवादी का एक बड़ा भाग सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों का है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। मेरी सरकार द्वारा सैनिक कल्याण निदेशालय तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों को समयबद्ध आधार पर कियाशील एवं सुदृढ़ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर 2 माह के अन्दर सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद का गठन किया जायेगा। बहुउद्देशीय कल्याण निगम के माध्यम से इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार इकाइयाँ स्थापित करने के लिए ऋण एवं उचित सहायता दिलवाने की व्यवस्था की जायेगी। राज्य में सरकारी पदों की सीधी भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के साथ-साथ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए राजकीय सेवाओं में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन पूर्व सैनिक कल्याण निधियों का विभाजन दो माह के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा। चरणबद्ध ढंग से आवश्यकतानुसार राज्य में विभिन्न स्थानों पर पूर्व सैनिक विश्राम गृह भी बनाये जायेंगे।

62. गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों का उत्तरांचल की विशिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में सर्वेक्षण, भारत सरकार के मापदण्डों के आधार पर, तथा उनके परामर्श से, पुनः कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

63. मेरी सरकार राज्य में विधि एवं व्यवस्था तथा सभी के लिए सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इस उद्देश्य से राज्य में एक चुस्त दुरस्त, सशक्त तथा समाज के मित्र एवं सेवा उन्मुख पुलिस बल की स्थापना सुनिश्चित की जायेगी। केन्द्र सरकार की पुलिस आधुनिकीकरण योजना के माध्यम से अधिक से अधिक संसाधन प्राप्त कर इनका समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया

जायेगा। उत्तरांचल के अधिकांश भाग में परम्परागत आधार पर राजस्व पुलिस की व्यवस्था आज भी विद्यमान है। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा इसके आधुनिकीकरण के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्यवाही की जायेगी।

64. राजस्व एवं भू-अभिलेखों को आधुनिक विधियों से अद्यावधिक करने की कार्यवाही समयबद्ध आधार पर की जायेगी, तथा भूमि-अन्तरण एवं पंजीकरण क्रियाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक वर्ष के अन्दर कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था स्थापित की जायेगी। राज्य में अनियमित एवं अनियंत्रित भूमि के कय-विकय की गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रासांगिक नियमों का परीक्षण करके उनमें आवश्यक संशोधन करने पर बिचार किया जायेगा।

65. उत्तरांचल राज्य सदैव विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित रहा है। पूर्व अनुभव यह रहा है कि सरकार के प्रयास आपदा घटित हो जाने के बाद सहायता उपलब्ध कराने तक सीमित रहे हैं। आपदाओं के लिए पूर्व तैयारी, जहाँ तक सम्भव हो, उनके प्रभावों के न्यूनीकरण, तथा आपदा घटित होने की दशा में बेहतर राहत प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत कार्ययोजना एवं सुदृढ़ एवं प्रभावी संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा एक माह के अन्दर करके समयबद्ध बहुआयामी कार्ययोजना बनाई जायेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में राहत आपदा कोष की स्थापना भी की जायेगी।

66. राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न के सरप्लस के परिप्रेक्ष्य में इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनेक अति महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, यथा- बी.पी.एल. योजना, अन्त्योदय योजना व अन्नपूर्णा योजना, आदि, जो समाज के निर्धन तबकों की ओर उन्मुख हैं। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मा0उच्चतम न्यायालय द्वारा भी निर्देश दिए हैं, जिनका व्यापक प्रचार कराया जायेगा, ताकि लक्ष्य उपभोक्ताओं को प्राप्य सुविधाओं की जानकारी हो सके तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही लायी जा सके। सामान्य रूप से आवश्यक

वस्तुओं की सुगमता से, तथा उचित मूल्यों पर, उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्डों की व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत करने की दिशा में भी कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारम्भ की जायेगी।

67. उत्तरांचल राज्य में नियोजित शहरी विकास की दिशा में अपेक्षित ध्यान एवं प्रयासों का गम्भीर अभाव रहा है और अभी तक इस हेतु वांछित एवं पर्याप्त संस्थागत व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है। फलस्वरूप राज्य में उपलब्ध स्वच्छ पर्यावरण एवं व्यापक नैसर्गिक सौन्दर्य के आकर्षणों के चलते, और विशेषकर नये राज्य के गठन के पश्चात, अनियंत्रित एवं अनियोजित निर्माण, अतिक्रमण, ट्रैफिक, प्रदूषण आदि की समस्या सर्वत्र परिलक्षित हो रही है। मुख्य नगरों में नियोजित विकास एवं मूल नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकताओं के अतिरिक्त अनेक ऐसे विनियमित क्षेत्र भी हैं, जो तीर्थाटन तथा पर्यटन के दृष्टिकोण से अतिमहत्वपूर्ण हैं, जहाँ नगरीय नियोजन की व्यवस्था शून्य के बराबर है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पर्यटन नगरों, तथा सामान्य रूप से पर्वतीय नगरों में पर्वतीय आर्किटेक्चर की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मुख्य नगरों में स्लम्स (slums) लगातार बढ़ रहे हैं, और उनके नियंत्रण तथा सुधार की दिशा में प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है।

68. मेरी सरकार द्वारा अगले तीन माह के अन्दर इन सभी विषयों के संबंध में गहन समीक्षा करके यथोचित नीति बनाई जाएगी तथा उत्तरांचल की परिस्थितियों के अनुकूल संस्थागत ढांचा भी स्थापित किया जाएगा। इसी क्रम में स्थानीय निकाय अधिनियम का भी परीक्षण किया जायेगा, ताकि आवश्यकतानुसार उसमें भी संशोधन पर विचार किया जा सके।

69. मेरी सरकार द्वारा इंगित विकास की विभिन्न प्राथमिकताओं के अनुसार विभागवार निश्चित कार्य योजनाएं समयबद्ध आधार पर तैयार की जाएंगी, और इनके क्रियान्वयन का निकट अनुश्रवण किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण बीस

सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं उसके अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुदृढ़ की जायेगी।

70. विकास कार्यों एवं तत्संबंधी व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाये जाने में मीडिया का अति महत्वपूर्ण योगदान है। मेरी सरकार विभिन्न स्तरों पर मीडिया के साथ लगातार संवाद सुनिश्चित करेगी। इससे संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा यथाशीघ्र करके आवश्यक कदम समयबद्ध आधार पर उठाए जाएंगे। इसी क्रम में पत्रकार कल्याण निधि स्थापित की जायेगी तथा श्रमजीवी पत्रकारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना बनाई जायेगी।

71. नवगठित विधानसभा के सदस्यगण प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु जनाकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे आशा एवं विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यों के समग्र नेतृत्व में, हिमालय की चोटियों से यमुना-टोंस तथा महाकाली के बीच स्थित यह प्रदेश, जिसे गंगा, यमुना तथा शारदा घाटियों मैदानों में और विस्तृत करती हैं, और जहाँ जौनसार, बावर, नीती, माणा, जोहार, दार्मा, आदि अनेक विशेष क्षेत्र स्थित हैं, विकास की नीति निर्धारण, नियमन और क्रियान्वयन के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। राज्य की प्रथम विधानसभा के इस प्रथम सत्र में, मेरी सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी नीतिगत दिशाओं एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, अगले वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ हो रही 10वीं पंचवर्षीय योजना की संरचना शीघ्र कर ली जायेगी। राज्य सरकार का यह विश्वास है कि उत्तरांचल की महान जनता इस योजना के अनुसार बहुमुखी विकास के लाभ प्राप्त कर सकेगी और यह पंचवर्षीय योजना 21वीं सदी में विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।

72. मा0 सदस्यगण विधायी एवं संसदीय कार्यों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2002-2003 हेतु लेखानुदान तथा वित्तीय वर्ष 2001-2002 हेतु द्वितीय अनुपूरक माँग का पारण करेंगे। इस कार्य में मुझे आपके पूर्ण सहयोग की आकांक्षा है। विधान सभा के अमूल्य समय का सदुपयोग सभी नियत कार्यों को सम्पन्न कराने में आपके

नेतृत्व और सहयोग की अपेक्षा है। मैं आपको इन सदप्रयासों के लिये साधुवाद प्रदान करते हुए सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।